# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-178 RAAJodhpur2021-59RTA223 Heeraram Vs Mewaram etc

हीराराम पुत्र हेमाराम जाति जाट, निवासी- कुरछी तहसील खीवंसर, जिला नागौर।

--- **अपीलाण्ट**

**ब**

**ना**

**म**

1. वसनाराम पुत्र मेवाराम फौत के वारिसान्
   1.1. मंगुराम पुत्र वसनाराम जाति राजपूत, निवासी- जलुकी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
   1.2. मस्तानराम पुत्र वसनाराम जाति राजपूत, निवासी- जलुकी तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर।
2. शंकरराम पुत्र मेवाराम फौत के वारिसान्
   2.1. बीरबल पुत्र शंकरराम जाति राजपूत, निवासी- जलुकी तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर।
   2.2. अशोक कुमार पुत्र शंकरराम जाति राजपूत, निवासी- जलुकी तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर।
3. पेमाराम पुत्र मेवाराम फौत के वारिसान्
   3.1. भगताराम पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम
   3.2. लालचन्द पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम
   3.3. विकास पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम
   3.4. कालीबाई पुत्री प्रेमाराम उर्फ पेमाराम
   3.5. सुन्दरी बाई पुत्री प्रेमाराम उर्फ पेमाराम
   3.6. लक्ष्मीबाई पुत्री प्रेमाराम उर्फ पेमाराम

   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- जलुकी तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
4. उम्मेदाराम पुत्र श्री जीवनदान
5. सोहनदान पुत्र श्री जीवनदान
6. चण्डीदान पुत्र श्री जीवनदान
7. शंकरदान पुत्र श्री जीवनदान
8. चन्दनदान पुत्र श्री जीवनदान
9. चेतनदान पुत्र श्री जीवनदान

   सभी जातियान् चारण, निवासीगण- गाडना, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
10. रमेशचन्द्र पिता धनसुखलाल कबुतरवाला

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11. जयन्तिलाल जरीवाल पुत्र ठाकुरदार जरीवाल
12. कनक कुमार पिता जयन्तिलाल जरिवाल
13. महेशचन्द्र पिता धनसुखलाल कबुतरवाला
14. विशदकुमार पिता जयन्तिलाल जरीवाल
    सभी निवासी- एकता-3 जी निधी अपार्टमेंट के सामने घोड़ा दौड़ रोड़ सुरत।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बाप द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 182/2016 हीराराम बनाम मेवाराम इत्यादि**

--- 0 ---

**उपस्थित** -
श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 15

# नि र्ण य

**दिनांक : 19 दिसंबर 2022**

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 182/2016 हीराराम बनाम मेवाराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 जून 2021 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 131 रकबा 1415 बीघा ग्राम गाडना तहसील बाप के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की, जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपने वादपत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई तथा अपीलार्थी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में दो गवाहन परिक्षित करवाया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के गवाहों के बयानों का कोई खण्डन नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपने वादपत्र के साथ दस्तावेजात पेश किये गये, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात पेश नहीं होने का हवाला देकर अपीलार्थी का वाद पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलाधीन निर्णय में यह दर्शाया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत किये गये गवाहान के बयानो का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने अपने स्वयं के साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के शपथ-पत्र में दस्तावेजात का प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको मानने में भारी भूल की गई है। अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा खातेदारी की घोषणा होने पर बंटवाड़ा चाहा गया है, परन्तु बंटवाड़ा में वर्तमान जमाबंदी के अनुसार उनके बीच बंटवाड़ा चाहा गया है, जिसकी जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है तथा उनको वाद पत्र में प्रतिवादीगण बनाये गये थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको नहीं माना गया है। इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है। वक्त सेटलमेंट खसरा नं. 131 रकबा 1415 बीघा भूमि का खातेदार करणीदान के नाम दर्ज हुई थी। उसके फौत होने पर उनके वारिसान् के नाम से दर्ज हो गई, परन्तु जीवनदान द्वारा सहायक कलक्टर फलोदी में एक वाद बंटवाड़ा का दिनांक 28.08.1968 को शक्तिदान, पदमकंवर व सम्पतकंवर के खिलाफ पेश किया गया तथा जीवनदान व अन्य द्वारा खसरा नं. 131 में सें रेस्पोडेंट संख्या एक से चार को 400 बीघा भूमि दिनांक 18.07.1967 को व मोहम्मद आलम को दिनांक 24.08.1968 को उक्त खसरा में सें 144 बीघा 08 बिस्वा रजिस्टर्ड बेचाननामा से बेचान कर देने पर शेष उक्त खसरा की भूमि का बंटवाड़ा हेतु वाद जीवनदान द्वारा किया गया, जिसमें खसरा नं. 131 की कुल रकबा 1415 बीघा में सें 870 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद आपसी राजीनामा के आधार पर दिनांक 22.07.1970 को डिक्री किया गया। इस प्रकार प्रतीत होता है कि उक्त भूमि का पूर्व में विक्रय विलेख होने पर उक्त बेचान में विशिष्ट पड़ोस दर्शाया जाने पर उनको पूर्व ऐ अलग कर दी गई थी तथा यह भी प्रतीत होता है कि खातेदार द्वारा उनको पूर्व में विक्रय विलेख कर देने पर शेष रही भूमि का जीवनदान ने विभाजन चाहा तथा राजीनामा डिक्री हो गया। इस प्रकार एक बार विभाजन का वाद डिक्री होने के बाद पुनः इसी खसरे के बट्टा नंबर वालो को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी ने उक्त वाद पत्र, निर्णय एवं डिक्री को अपील मीमों के साथ प्रस्तुत किया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तत वादपत्र पेश के समय खातेदार को ही पक्षकार बनाया गया है, जिसकी अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र के साथ जमाबंदी पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते वक्त उक्त जमाबंदी का अवलोकन किये बिना ही वादी का वाद खारिज कर दिया। जीवनदान फौत होने पर उनके विधिक वारिसानों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई, अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी की घोषणा हेतु वाद पेश किया गया था जो मूल खसरा के जमाबंदी के खातेदारो को पक्षकार बनाया गया था। अपीलार्थी ने अपने वाद पत्र में वादकरण का उल्लेख किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके बिना देखे ही अपीलार्थी का वाद कारण खारिज करने में भारी भूल की गई है। अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त भूमि को खरीदी गई थी, जिस पर अपीलार्थी साधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहो को प्रस्तुत किया गया था, उसका कोई खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पक्ष में जब बेचाननामा पंजीबद्ध होने पर कब्जा मौके पर क्रेता द्वारा सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी बेचाननामा के आधार पर उस विशिष्ट भू-भाग व पड़ौस वाली जमीन पर अपीलार्थी काबिज काश्त है तथा अपीलार्थी द्वारा बेचाननामा करवाने के बाद बेचाननामा की एक प्रति पटवारी महोदय को दी गई, परन्तु पटवारी महोदय द्वारा रेकर्ड में दर्ज नहीं करने की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा नंबर सात से दस में अंकित किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने के कारण घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है तथा अपीलार्थी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबंदी, अपीलार्थी के विक्रेता का विक्रय पत्र व अपीलार्थी ने खरीद करने का विक्रय पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था, तथा अपीलार्थी द्वारा दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजातो का अवलोकन किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलांट द्वारा दिनांक 26.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

03.2021 को नकल लेकर अपने अधिवक्ता से जोधपुर आकर संपर्क किया। किंतु दिनांक 17.04.2021 से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग जाने के कारण उक्त अपील पेश नहीं कर सके तथा अन लॉक होने पर अपील अंदर म्याद पेश की गई। लॉकडाउन के कारण म्याद में राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जब तक लॉकडाउन है, तब तक कोई वाद अपील म्याद बाहर नहीं मानी जा सकती है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 26.जुलाई 2018 को निरस्त किया जावे एवं वादी/अपीलांट के वाद को स्वीकार करने का आदेश प्रदान फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त बिंदुवार विवेचन किया गया।

- जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के चलते विश्वव्यापी लॉकडाउन के चलते अदालती

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्य बंद रहने से अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में देरी का लाजमी कारण है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

- विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विवेचित किया गया है कि वादी द्वारा न ही मूल विक्रय विलेख प्रस्तुत किया गया एवं न ही उसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादी द्वारा प्रदर्श ई.एक्स.पी.-1 एवं ई.एक्स.पी.-2 के जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख पदर्श करवाये जाने पाये जाते है।

- विचारण न्यायालय का मत है कि वादी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त भूमि के समस्त रेकर्डेड खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपील पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2043-2046 एवं संवतः 2067-2070 ग्राम गाडना में खसरा नं. 131 के दर्ज समस्त खातेदारान् को दावे में पक्षकार संयोजित किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा नं. 131 रकबा 98.12

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा की जमाबंदी ही प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। शेष रकबे के अन्य अभिलेख न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।

- विचारण न्यायालय का विवेचन है कि वादी द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि वर्तमान में 50 बीघा भूमि किस खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा विक्रय विलेख का राजस्व अंकन नहीं हुआ, इसका भी कारण वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 18.07.1967 एवं दिनांक 19.04.1978 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार श्री जीवनदान वल्द करणीदान द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 131 रकबा 1415 बीघा में सें 400 बीघा भूमि प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या एक से चार को बेचान किया जाना पाया जाता है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी वसनाराम से उसके बंट की 100 बीघा भूमि में सें 50 बीघा भूमि प्रतिफल अदा कर खरीद किया जाना पाया जाता है। वर्तमान में भी उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रभावी एवं वैध है।

- विचारण न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी वसनाराम पुत्र मेवाराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नाम की तत्कालीन जमाबंदी पेश नहीं की तथा पटवारी हल्का बड़ीसिड से जारी जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की, इस तकनीकी आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि नामांतरकरण केवल फिजीकल प्रोसेडिंग है, यह खातेदारान् के खातेदारी अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है।

- विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे में प्रतिवादीगण की ओर से न तो जवाब दावा पेश किया गया तथा न ही वादी के दावे का खण्डन किया जाना पाया जाता है। पी.डब्ल्यू-2 हेमाराम ने अपनी जिरह में वक्त बेचान से आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा स्वीकार किया है।
- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत में विवाधक ही नहीं तय किये गये है। जिससे वादी अपना वाद साबित कर सके।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर किये बिना दावा तकनीकी कारण दर्शाते खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 182/2016 हीराराम बनाम मेवाराम इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में प्रतिवादी का जवाब लेकर तनकीयात कायम करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर